

Office of The sadar Majlis Ansarullah Bharat

دفتر صدر مجلس انصار الله بھارت

Ph. +91-01872-220186, Fax, +91-01872-224186, Mob, +91-9815494687, E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com

सारांश खुत्व: जुम्अ: सैय्यदना खलीफतुल मसीहिल खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अजीज दिनांक 03.06.2016 बैतुल फतूह लंदन।

पहली बात तो सदैव यह याद रखनी चाहिए कि इस्लाम के अनुसार कर्म करने का आधार तक्वा है इस लिए तक्वा को सामने रखते हुए रोज़ों के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कथनों को सामने रखें कि अपने रोज़ों को खुदा के लिए सच्चाई के साथ पूरे करो।

तशहहद तअव्वुज तथा सूर: फ़ातिह: की तिलावत के पश्चात हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अजीज ने फ़रमाया-

इन्शाअल्लाह तीन चार दिनों तक रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। रोज़े इस्लाम के मूल सिद्धांतों में से हैं तथा इन्हें पूरा करना अनिवार्य है। रोज़ों के विषय में कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी उठते हैं। सहरी के समय के सम्बंध में, अफ़्तारी के विषय में, बीमारी के विषय में, यात्रा करने वाले से सम्बंधित, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। इस ज़माने में अल्लाह तआला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को हक़म और अदल (निर्णायक एवं न्यायिक) बनाकर भेजा है जिन्होंने इस्लाम की शिक्षानुसार प्रत्येक बात का निर्णय करना था और किया, तथा प्रत्येक समस्या का समाधान बताना था और बताया। अतः इस संदर्भ में इस ज़माने में हमें अपनी समस्याओं के निवारण तथा ज्ञान में वृद्धि के लिए आप अलैहिस्सलाम की ओर देखने की आवश्यकता है। इस समय रोज़ों के संदर्भ में कुछ प्रश्नों के उत्तर अथवा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इस विषय में क्या दृष्टि कोण था, बयान करूंगा।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- पहली बात तो सदैव यह याद रखनी चाहिए कि इस्लाम के अनुसार कर्म करने का आधार तक्वा है इस लिए तक्वा को सामने रखते हुए रोज़ों के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के कथनों को सामने रखें कि अपने रोज़ों को खुदा के लिए सच्चाई के साथ पूरे करो।

एक बार हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में प्रश्न पेश हुआ कि रोज़ा तो बुद्धवार को रक्खा जाना चाहिए था हमारे यहाँ पहला रोज़ा जुमेरात को रक्खा गया, अब क्या करना चाहिए? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि इसके बदले में रमज़ान के महीने के पश्चात एक रोज़ा रखना चाहिए। जो रोज़ा छूट गया उसे रमज़ान के बाद पूरा करो।

इसी प्रकार सहरी खाने की बात है, सहरी खाकर रोज़ा रखना अनिवार्य है। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें यही आदेश दिया है। अतः एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि रोज़े के दिनों में सहरी खाया करो, क्योंकि सहरी खाकर रोज़ा रखने में बरकत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम भी इसकी पाबन्दी फ़रमाया करते थे स्वयं भी, तथा जमाअत के लोगों को कहा करते थे कि सहरी अनिवार्य है। इसी प्रकार जो महमान आया करते थे क़ादियान में, उनके लिए भी सहरी का विधिवत् प्रबन्ध हुआ करता था बल्कि बड़ी व्यवस्था हुआ करती थी।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि **يريد الله بكم اليسر ولا يريد الله بكم العسر** भावार्थ यह है कि हम यह सहन नहीं कर सकते थे कि तुम ईमान लाओ और कठिनाईयों में पड़ो इस लिए

हमने रोजे अनिवार्य किए। अल्लाह तआला यह फ़रमाता है- ताकि तुम्हारी कठिनाईयाँ दूर हों। यह ऐसा बिन्दु है जो मोमिन को मोमिन बनाता है। यह बड़ी बात है जो याद रखने के योग्य है कि तुम्हारे लिए सुविधा चाहता है दुविधा नहीं चाहता। रोजे में भूखा प्यासा रहना अथवा दीन के लिए कुर्बानी करना इंसान के लिए हानि कारक नहीं बल्कि पूर्णतः लाभ का कारण है। जो यह विचार करता है कि इंसान रमज़ान में भूखा रहता है, वह कुरआन को झुठलाता है क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है कि तुम भूखे थे, हमने रमज़ान को भेजा ताकि तुम रोटी खाओ। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि रोटी यही है जो ख़ुदा तआला खिलता है तथा वास्तविक जीवन इसी से है। इसके अतिरिक्त जो रोटी है, वह रोटी नहीं पत्थर है जो खाने वाले के लिए विनाश का कारण है। मोमिन का कर्तव्य है कि जो निवाला उसके मुंह में जाए उसके सम्बंध में पहले देखे कि वह किसके लिए है, यदि वह ख़ुदा के लिए है तो वही रोटी है और यदि वह अपने स्वार्थ के लिए है तो वह रोटी नहीं।

हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- अतः सहरी यदि अल्लाह तआला के आदेशानुसार खाई जा रही है तो यदि अच्छी भी खाई जा रही है तो वह अल्लाह तआला के लिए है और जैसा कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, उसमें बरकत है और यदि पेट भरना है और अच्छा भोजन खाना है और आनन्द प्राप्ति है तो फिर निजि स्वार्थ के लिए है।

यात्रा और रोग में रोज़ा जायज़ नहीं। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु एक स्थान पर फ़रमाते हैं कि मुझे ख़ूब याद है कि सम्भवतः मिर्ज़ा याकूब बेग साहब जो आजकल बिना बैअत वाले हैं तथा उनके लीडरों में से हैं, एक बार बाहर से आए। असर का समय था, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़ोर दिया कि रोज़ा खोल दें और फ़रमाया कि यात्रा में रोज़ा जायज़ नहीं। इसी प्रकार एक बार बीमारियों का वर्णन हुआ तो फ़रमाया कि हमारा यही तरीक़ा है कि दीन में छूट से लाभ उठाना चाहिए, दीन कठोरता नहीं सरलता सिखाता है। वे लोग जो यह कहते हैं कि बीमार और मुसाफ़िर यदि रोज़ा रख सके तो रख ले, हम इसको उचित नहीं समझते।

क्रयाम (किसी स्थान पर ठहरना) के दौरान रोज़ों के विषय में हज़रत सय्यद मुहम्मद सरवर शाह साहब लिखते हैं कि रोज़ों के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि यदि किसी व्यक्ति ने एक स्थान पर तीन दिन से अधिक ठहरना हो तो फिर रोजे रक्खे और यदि तीन दिनों से कम ठहरना हो तो रोजे न रक्खे और यदि क़ादियान में कम दिन ठहने के बावजूद रोज़ा रख ले तो फिर रोजे दोबारा रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क़ादियान अपनी ही दूसरी बस्ती है इसमें तीन दिन से कम समय में भी यदि रखना चाहे तो रख सकता है परन्तु शेष स्थानों पर तीन दिन यदि ठहरना है तो रोजे रख सकता है।

रोगी और यात्री के रोजे रखने पर चर्चा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की मज्लिस में हुई। हज़रत मौलवी नूरुद्दीन साहब ने शेख़ इब्ने अर्बी का कथन कि रोगी अथवा यात्री रोजे के दिनों में रोज़ा रख ले तो फिर भी उसे स्वस्थ होने पर, रमज़ान का महीना व्यतीत होने के पश्चात रोज़ा रखना अनिवार्य है। क्योंकि ख़ुदा तआला ने फ़रमाया है **فمن كان** **منكم مريضاً او على سفر فعدة من ايام آخر** अर्थात्- जो तुममें से बीमार हो या सफ़र में हो वह रमज़ान के महीने के बाद के दिनों में रोजे रक्खे। ख़ुदा तआला का स्पष्ट आदेश यह है कि वह बाद में रोजे रक्खे, बाद के रोजे उस पर हर अवस्था में अनिवार्य हैं। बीच के रोजे यदि वह रक्खे तो यह एक अलग बात है तथा उसके मन की इच्छा है, इससे ख़ुदा तआला का वह आदेश जो बाद में रखने के सम्बंध में है, टल नहीं सकता। हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि जो व्यक्ति रोगी अथवा यात्री होने की अवस्था में रमज़ान के महीने के रोजे रखता है, वह ख़ुदा तआला के स्पष्ट आदेश का उल्लंघन करता है। ख़ुदा तआला ने स्पष्ट रूप से फ़रमा दिया है कि रोगी तथा यात्री रोजे न रक्खे। रोग से मुक्त होने तथा यात्रा की समाप्ति के पश्चात रोजे रक्खे। ख़ुदा तआला के इस निर्देश के अनुसार करना चाहिए क्योंकि मुक्ति ख़ुदा के फ़ज़ल

के कारण है, न कि अपने कर्मों का जोर दिखाकर कोई मुक्ति प्राप्त कर सकता है। खुदा तआला ने यह नहीं फ़रमाया कि रोग छोटा हो अथवा बड़ा और यात्रा छोटी और अथवा बड़ी, अपितु सबके लिए निर्देश है तथा इसके अनुसार करना चाहिए। रोगी तथा यात्री रोज़ा रक्खेंगे तो उनपर अवज़ा का फ़तवा लगेगा।

हज़रत साहिबज़ादा मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब लिखते हैं कि डाक्टर मीर मुहम्मद इसमाईल साहब ने बयान किया कि एक बार लुधियाना में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने रमज़ान का रोज़ा रक्खा हुआ था कि दिल घटने का दौरा हुआ तथा हाथ पाँव ठंडे हो गए। उस समय सूर्य अस्त होने का समय निकट था परन्तु आपने तुरन्त रोज़ा तोड़ दिया। आप सदैव शरीर अत में सरल मार्ग को अपनाते थे। हज़रत मियाँ बशीर अहमद साहब फ़रमाते हैं कि विनीत निवेदन करता है कि हदीस में हज़रत आयशा रज़ी. की रिवायत से आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विषय में भी यही बात आती है कि आप सदैव दो जायज़ रास्तों में से सरल रास्ते को पसन्द फ़रमाते थे।

कई बार रमज़ान जैसे मौसम में आता है कि खेती करने वालों से, जबकि काम की अधिकता हो, उदाहरणतः बिजार्ई हो रही है अथवा कटाई हो रही है। ऐसे मजदूरों से जिनकी जीविका मजदूरी पर है और रोज़ा नहीं रक्खा जाता, प्रश्न हुआ कि ऐसे मजदूरों के विषय में क्या निर्देश है? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि **الإعمال بالنيات** ये लोग अपनी अवस्थाओं को छुपाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति तक्वा और शुद्धता के साथ अपनी अवस्था पर विचार कर ले यदि कोई अपने स्थान पर दूसरे को मजदूरी पर रख सकता है तो ऐसा करे अन्यथा रोगी के आदेश में है फिर जब समय मिले, रोज़े रख ले।

फ़िदयह के विषय में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि एक बार मेरे दिल में आया कि फ़िदयह किस लिए सुनिश्चित किया गया है तो ज्ञात हुआ कि सामर्थ्य पाने के लिए ताकि रोज़े की तौफ़ीक़ इसके द्वारा प्राप्त हो। खुदा तआला ही का अस्तित्व है जो सामर्थ्य प्रदान करता है और प्रत्येक वस्तु खुदा तआला ही से मांगनी चाहिए। खुदा तआला तो सर्वशक्तिमान है और यदि वह चाहे तो एक संक्रमणिक रोगी को भी रोज़े रखने की शक्ति प्रदान कर सकता है। अतः मेरे विचार में यह है कि दुआ करे कि इलाही यह तेरा मुबारक महीना है और मैं इससे वंचित हुआ जाता हूँ और क्या पता कि अगले वर्ष जीवित रहूँ कि नहीं अथवा उन छूटे हुए रोज़ों को रख सकूँ कि नहीं तथा उससे तौफ़ीक़ मांगे। मेरा विश्वास है कि ऐसे दिल को खुदा तआला शक्ति प्रदान कर देगा।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सम्मुख एक प्रश्न पेश हुआ कि जो व्यक्ति रोज़ा रखने के योग्य न हो उसके बदले दीन दुखी को खाना खिलाना चाहे तो उस खाने की धन राशि क़ादियान के यतीम फ़न्ड में भेजना उचित है या नहीं अथवा जो भी अब जमाअत की व्यवस्था है उसमें देना उचित है कि नहीं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि एक ही बात है चाहे अपने नगर में निर्धन को खाना खिलाए अथवा यतीम और मिस्कीन फ़न्ड में भेज दे। अपना कोई जानकार है, किसी के रोज़े खुलवाने हैं तो वहाँ भी खुलवाए जा सकते हैं।

अनजाने में खाने पीने से रोज़ा नहीं टूटता। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में प्रश्न पेश हुआ कि मैं सहरी के समय रमज़ान के महीने में अन्दर बैठा हुआ अनजाने में खाता पीता रहा, जब बाहर निकल कर देखा तो ज्ञात हुआ कि सफ़ेदी प्रकट हो गई है, क्या वह रोज़ा मुझे दोबारा रखना अनिवार्य है अथवा नहीं। आप अलै. ने फ़रमाया कि अनजाने में खाया पिया तो उस पर इस रोज़े के बदले दूसरा रोज़ा रखना आवश्यक नहीं, यदि अनजाने में खा लिया तो कोई दुविधा नहीं।

आयु का प्रश्न, कि किस आयु में रोज़ा रखना चाहिए? कई बच्चे भी पूछते हैं, बड़े भी पूछते हैं। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ीअल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि यह बात याद रखनी चाहिए कि शरीर अत ने छोटी आयु के बच्चों को रोज़ा रखने से

रोका है परन्तु जब व्यस्क होने लगे तो उन्हें कुछ रोजे रखने का अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। आप फ़रमाते हैं कि मुझे जहाँ तक याद है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुझे पहला रोज़ा रखने की अनुमति बारह या तेरह वर्ष की आयु में दी थी परन्तु कुछ मूर्ख लोग छः सात की आयु के बच्चों से रोज़ रखवाते हैं और समझते हैं कि हमें इसका सवाब होगा। यह सवाब का काम नहीं बल्कि अत्याचार है क्योंकि यह आयु बढ़ौतरी की होती है, हाँ एक आयु वह होती है कि व्यस्क होने के दिन निकट होते हैं तथा रोजे अनिवार्य होने ही वाले होते हैं, उस समय उनको रोज़ों का अभ्यास अवश्य कराना चाहिए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अनुमति और सुन्नत को यदि देखा जाए तो बारह तेरह वर्ष की आयु के निकट कुछ कुछ अभ्यास कराना चाहिए और प्रत्येक वर्ष कुछ रोजे रखवाने चाहिए यहाँ तक कि अठारह वर्ष की आयु हो जाए जो मेरे विचार में रोजे के लिए व्यस्क होने की आयु है। मुझे पहले वर्ष केवल एक रोज़ा रखने की हज़रत समीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अनुमति दी थी।

हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- जब रोजे की अनुमति दिलवाई थी बारह तेरह वर्ष की आयु में तो केवल एक रोज़ा रखवाया था। इस आयु में तो केवल जिज्ञासा होती है तथा इस जिज्ञासा के कारण बच्चे अधिक रोजे रखना चाहते हैं परन्तु यह माँ बाप का काम है कि उन्हें रोके। फिर एक आयु ऐसी होती है कि उसमें चाहिए कि उसमें बच्चों को साहस दिलाएँ कि वे भी कुछ रोजे अवश्य रक्खें। बचपन में माँ बाप का काम है रोके, अधिक न रखने दें फिर जब जवानी की आयु आ रही है तो फिर साहस दिलाएँ तथा उनसे अधिक रोजे रखवाएँ तथा साथ ही यह भी देखते रहें कि वे अधिक रोजे न रक्खें और देखने वालों को भी इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए कि पूरे रोजे क्यूँ नहीं रखता, क्यूँकि बच्चा यदि इस आयु में पूरे रोजे रक्खेगा तो भविष्य में नहीं रख सकेगा। इसी प्रकार कुछ बच्चे बनावट के अनुसार दुर्बल होते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग बच्चों को मेरे पास लाते हैं और बताते हैं कि इसकी आयु पन्द्रह वर्ष की है जबकि देखने में वे सात आठ वर्ष के लगते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे रोजे के लिए सम्भवतः इक्कीस वर्ष की आयु में व्यस्क हों। इसकी तुलना में एक मज़बूत बच्चा सम्भवतः पन्द्रह वर्ष की आयु में अट्ठारह वर्ष के बराबर हो सकता है परन्तु यदि वह मेरे इन शब्दों को पकड़ कर बैठ जाए कि रोजे की व्यस्क आयु अट्ठारह वर्ष है तो वह मेरे साथ न्याय नहीं करेगा न ही खुदा तआला के साथ बल्कि अपनी जान पर अत्याचार करेगा। इसी प्रकार यदि कोई छोटी आयु का बच्चा पूरे रोजे न रक्खे और लोग उस पर आपत्ति करें तो वे अपनी जान पर अत्याचार करेंगे।

तरावीह के विषय में अकमल साहब ऑफ़ गोलेकी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से पूछा कि रमज़ामन शरीफ़ में रात को उठने और नमाज़ पढ़ने का आदेश है और साधारणतः परिश्रमी मज़दूर तथा खेती करने वाले लोग जो कर्म करने में विमुखता दिखाते हैं यदि रात के पहले भाग में उनको ग्यारह रकअत तरावीह बजाए अन्तिम रात्रि के पढ़ा दी जाए तो क्या उचित होगा। हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया कि कोई बुराई नहीं, पढ़ लें।

तरावीह के विषय में निवेदन किया गया कि जब यह तहज़ुद है तो बीस रकअत पढ़ने के विषय में क्या आदेश है क्योंकि तहज़ुद तो वितरों सहित ग्यारह या तेरह रकअत है। फ़रमाया कि आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्थाई सुन्नत तो वही आठ रकअतें हैं तथा आप तहज़ुद के समय ही पढ़ा करते थे तथा यही अफ़ज़ल है परन्तु रात के प्रथम भाग में पढ़ना भी जायज़ है। उचित तो यही है कि तहज़ुद के समय उठकर आठ रकअत पढ़ी जाएँ परन्तु यदि रात के प्रथम भाग में पढ़ लें तो यह भी जायज़ है। एक रिवायत में है कि आपने रात के पहले भाग में भी पढ़ी हैं। बीस रकअतें बाद में पढ़ी गईं परन्तु आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत वही थी जो पहले बयान हुई। ये बीस रकअतें अथवा अधिक रकअत वाली बातें बाद की हैं। आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा आठ रकअत तहज़ुद है।

खु़बः जुम्हः के अन्त में हुज़ूर-ए-अनवर ने फ़रमाया- इस प्रकार ये कुछ बातें थीं रमज़ान के सम्बंध में जो मैंने बयान की हैं। अल्लाह तआला हमें तक्वा पर क़ायम रहते हुए अल्लाह तआला की प्रसन्नता को प्राथमिकता देते हुए रमज़ान के रोज़ों से लाभान्वित होने का सामर्थ्य प्रदान करे।